संख्या631/XII/07/82(10)/2007

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग: देहरादून दिनांक 31 दिसम्बर, 2007

**विषय– पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत जनपद चम्पावत हेतु अग्रिम केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि अवमुक्त करने संबंधी।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या N-11019/504/2007-POL-1 दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) हेतु भारत सरकार द्वारा जनपद चम्पावत के लिये अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) को राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का उपयोग पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) की ग्यारवी पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक जिला योजना 2008–09 की तैयारियों हेतु व्यय किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग जनपद चम्पावत की योजना हेतु किया जाय, किसी अन्य परियोजना हेतु कदापि न किया जाय।
4. उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्वान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, योजना आयोग भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन को उपलब्ध कराते हुए निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
6. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते हुए बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर/कोटेशन एवं मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा निर्गत तद् विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. व्यय उन्हीं मदों/योजनाओं के लिये किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।
8. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9. उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0102–राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर0एस0वी0वाई0)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
10. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशास0 पत्र संख्या 119(पी) XXVII-4 दिनांक 28 –12–2007में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(पी0के0महान्ति)
सचिव ।

संख्या 831-2/XII/07/82(10)/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप सलाहकार, योजना आयोग (एम.एल.पी. प्रभाग), भारत सरकार योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमायूं मण्डल,नैनीताल।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी चम्पावत।
8. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखन्ड को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
9. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून/वित्त–1/गार्ड फाईल।
11. विभागीय पत्रावली/समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

31/12/07

(आर0पी0फुलोरिया)
संयुक्त सचिव।

31122007 (02)